

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 42

नई विल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 1980/प्राश्चिन 26, 1902 NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1980/ASVINA 26, 1902

No 42]

THEN DELIN, SATURDAY, OCTOBER 16, 1980/ASVINA 20, 1902

इस भाग में भिन्त पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रत्यम संकलन के कव में रखा का सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—जण 3—उप-जण (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षाः मंत्रालय को छोड़ कर) मारत सरकार के मंत्राजयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण विश्वम जिनमें साधारण प्रकार के आवेत, उपनिश्वम आवि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्यास ऑर कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विधान)

नई **विल्लो, ७ अक्सूबर, 1**980

सावकावित 1070 — राष्ट्रपति, सीयकान के सनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदन्त पातिकार का प्रयोग करते हुए एकाधिकार तथा अवरी-धंक ध्यापारिक व्यवहार द्वार्याग, राजिन्द्रार का कार्यालय, अवरीधंक व्या-गारिक करार (अधिकारी और कर्मचारिकृत्व) भर्ती नियम 1976 में और संसोधन करने के लिए निम्मालिका नियम बनाते हैं, प्रयोग :—

- ा. [(1) इस नियमों का मक्षिक्त नाम एक धिकार तथा अवरोधक व्यत्पारिक व्यवहार अध्योग, रिजिन्द्रार का कार्यालय, अवरोधक व्यापारिक करार (श्रिधकारी और कर्मवारिवृत्द) भर्ती (दिनीय) संबोधन नियम 1980 है।
- (1) वे राजपत्र में प्रकाणन की नारीक्ष की प्रकृतन होने ।
 2. एक,धिकार नथा प्रथमध्य व्याप्तिन व्यवहार प्रत्योग, रिजस्ट्रार का कार्यनिय प्रवमेधक व्याप्तिक अराय (प्रधिकारी एवं कर्मकारिवृत्व) अनी नियम 1976 के नियम 4 के प्रश्नुक में, "होम गाई ग्रीर ऐसी" भव्यों के बीच "उमके लिए तो कारण हैं उन्हें नेखबढ़ अरके," भव्य प्रकारमाणिन किए, नाएंगे।

[फा० मं० ए-12018/1/75-प्रभार•िश्वाल्यूम-III] बेद प्रकाण उप्पल, धवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

REGISTERED No. D. (D)-73

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th October, 1980

G.S.R.1070:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Office of the Registrar of Restrictive Trade Agreements (Officers and Staff) Recruitment Rules, 1976, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Office of the Registrar of Restrictive Trade Agreements (Officers and Staff) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1980.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the proviso to rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, Office of the Registrar of Restrictive Trade Agreements (Officers and Staff) Recruitment Rules, 1976, the words "for reasons to be recorded in writing" shall be added in the end.

[F.No. A.—12018/1/75-Admn. I. Vol. III]. VED PARKASH UPPAL, Under Secy

 तवन्तीकोरिन महापन्तन (उत्तराई के (1) "मुख्य इंगीनियर प्रशासक विद्वे के स्थान पर म्यानी के प्रयोग का बिनियमन) नियम, 1977 जहां कही के भ्राटे हैं ''ग्रध्यक्षा' वस्य रखा आयेगा ।

- (१) नियम 1 में "नवसती-मोरिन महा पत्तन" शब्दों के रशान पर "तुतीकोरिन पक्तन् गब्द रखे जार्थेये।
- (iii) नियम 2 के उपनियम (1) में "नव तृतीकोरित पत्तन" शस्दों के स्थान पर "मृतीको रिन पश्तन " शब्द रखे जायेंगे ।

[पी॰ जी॰एस॰-83/78] एम । प्राप्त गणवास, प्रवर सन्दि

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Ports Wing)

New Delhi, the 30th September, 1980

G.S.R. 1096.—Whereas a draft of a notification specifying the modified short title and certain changes in the text of the rules applicable to the nurt of Tuticorin was nublished as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) at pages 977-978 of the Gazette of India Part II Section 3(i) dated 3 May 1980, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports wing) No. G.S.R. 497, dated 18-4-80, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the notification in the Official Gazette,

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 12 May 1980;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (i) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules namely :---

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby directs that the rules specified on column(1) of the Schedule annexed hereto, shall extend to, and come into force, in the Port of Tuticorin the precise extent of the limits whereof has been declared in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 90 (E) dated the 1st March, 1979, subject to the modification specified in column (2) of the said. Schedule,

SCHEDULE

Short title of the rules Modification 1

- (Rates for the Use of the Wharf) Rules, 1976.
- 1. The Port of New Tuticorin For the words "New Tuticorin" wherever they occur, the word "Tuticorin" shall be substituted.
- 2. The Major Port of Tutico- For the words "Major Port of rin (Harbour Craft) Rules, 1976

Tuticorin" wherever they occur the words "Port of Tuticorin" shall be substituted.

The Major Port of New Tuticorin (Regulation of tho use of Landing Places) Rules, 1977.

- (i) For the words "Chief Engineer and Administrator", wherever they occur, the word "Chairman" shall be substituted:
- (ii) in rule 1, for the words, "Major Port of New Tuticorin" the words, "Port of Tuticorin" shall be substituted:
- (iii) in rule 2, in sub-rule (1), for the words "Port of New Tuticorin the words "Port of Tuticorin" shall be substituted.

[PGL-83/78] M. R. GATHWAL, Under Secy.

स्चना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1980

सा॰का॰नि॰ 1097.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेव 309 के गरन्तुक द्वारा प्रदत्त शांक्तियों का प्रयोग करने क्षुण सूजना और प्रसारण मजालय के अधीर आकाशवाणी के श्रोता अनुसंधान एकक में ज्येंग्ठ मानचित्रकार के पद पर भर्ती की पढ़ित का विनियमन करने के लिये निस्वलिखिम नियम दनाने है, ग्रथांत् :---

- सिकायत नाम और प्रारम्भ:—(1) दन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्राकामवाणी, नई दिल्ली (ज्येंग्ठ मानचित्रकार) भर्ती नियम, १९६० है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाणन की मारीष्ट से प्रवृत्त होंगे। ∤
- 2. पद संख्या, क्रोंकरण श्रीर बेतनमान:---उनत एव की संबंध, उसका वर्गकरण और उसका बेतनमान वे हीं। जो इससे हन निषमी से उपावध प्रमुसूची के स्तम्भ 3 ने 5 में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धित, भायु-सीमा, अर्हताएं झादि उक्त पर पर भर्ती की पद्धित, धायु-सीमा, धहुँताएं धौर उससे संबंधित कृत्य आतें के होंगी जो उक्स श्रमुस्ची के स्तमभ 5 से 13 में विविद्धित हैं ।

- 4. निरर्हताएं :-- यह व्यक्ति ---
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पनि या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या
- (छा) जिसने अपने पनि या प्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है:

उक्त पद पर नियक्ति का पाव नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति श्रीर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्थीय विधि के अक्षीत श्रमुजेय है श्रीर ऐसा करने के लिये श्रन्य श्राघार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. नियम शिथिल करने की णक्ति:---आहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें क्षेत्रबढ़ करके तथा संघ लोक सेवा ग्रायोग में परामर्थ करके. इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश हारा, शिथिल कर गरेगी।
- 6. व्याय्ति :---इन नियमों की कोई भी बात ऐसे घ्रारक्षणों, श्रायु-सीमा में छूट ग्रीर घन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-पमय पर निकाले गये श्रादेशों के धनगार ग्रनुसचित जातियों, ग्रनुसचित जनजातियों ग्रीर श्रन्य विशेष प्रवर्गी के व्यक्तियों के शिये उपबन्ध करना घरेक्षित है ।

श्रनुसूची

पदकानीम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेलनमान	षयन पद अथवा श्रचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने बाले अयक्ष्त्रियों के तिए श्राय्-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल नेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के स्रधीन श्रमुक्षेय है या नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित णैक्षिक भ्रीर श्रन्य भर्तृताएं म,
]	2	3	4	5	6	6 奪	7
ज्येष्ठ मार्निविद्यकार	<i>ए</i> क	माधारण केन्द्रीय सेवा समृह 'ख' श्रराजपत्नित श्रलिपिक वर्गीय	550~25-750- হ০ গৈ ৩-3 U- ৭০০ স	लागृ निष्ठी होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है टिप्पणः श्रायु सीम अवधारित कर के किए निर्णायः नारीख भारत से वाले श्रभ्याधिय से (उनसे भि जो अध्याप ते लकोबार द्वीप ते लकादीप से रह हैं) आधेवन प्राप् करने के स्थि नियत की ग श्रीतम तारी होगी।	ा) । ने क रिह्म प्रे प्र प्र रे प्र	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विशव- विद्यालय या संस्था से वाणिज्य कला में उपाधि या विष्लोमा। (ii) मानचित्र, चार्ट, लेखाचित्र आवि बनाने में 2 वर्ष का प्रनु- भव। टिप्पण 1 : प्रहुंताएं. प्रन्थया सुप्रहित प्रभ्यियों की दणा में संघ लोक सेया प्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा मकती हैं। टिप्पण 2 : प्रनुभव संबंधी घहुँताएं संघ लोक सेवा प्रायोग के विवेकानुसार प्रमुख्ति जनजातियों प्रथवा प्रमुख्ति जनजातियों प्रथवा प्रमुख्ति जनजातियों प्रथवा प्रमुख्ति जनजातियों के प्रथ्यियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती हैं, जबकि चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा प्रायोग की यह राय है कि इन के लिय घारिक्षत्र रिक्त स्थानों को भरने के लिये प्रपेक्षित अनुभव रेखने याले हन समुदायों के प्रस्थर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

सीये भर्ती किये जाने बाल स्यक्तियों के लिये बिहित साचु श्रीर शैक्षिक शहंतरम्ं/ प्रोचित की दला में खागु होनी या नहीं	सर्वाध यदि कोई हो	भर्ती की पञ्चित्र[भर्ती सीधे होगी या प्रोफ्तित हारा या प्रतिसिष्कित् स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न गञ्जतियों द्वारा भरी जाने याली रिक्तियों की प्रतिशतना	प्रोसित प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्तो को दशा में थे श्रीणयां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्था- नान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोप्नति समिति हो तो उभकी संर ष ना	श्र्मी करने में किन परिस्थितियों में सघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श किया जार्थगा
8	9	10	11	12	13
स्तायुनहीं होता।	दा अर्थे	प्रतिनिय्क्ति पर स्थानात्त्वरण हारा या स्थानात्त्वरण हारा, दोनों के न हो सक्ते पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुम्मि पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण : केन्द्रीय भरकार/राज्य मरकारों के अधीन मक्ष्ण पद भ्रान्ण करने नाले अधिकारी या ऐसे प्रधिकारी, जिन्होंने 425-700 रव्या समनुख्य सेतनमान नाने किसी पद पर 5 वर्ष मेवा की है और जिनके पान मार्नाचल, चार्ट, नेक्यानिल, चिन शादि नताने का यो पर्ष का प्रमुख्य हैं। (प्रतिनियुम्बत की प्रविधि सामान्यन, 3 वर्ष से धर्षिक नहीं होगी)।	समृह "ख" बिभागीय प्रोफ्रांत मिति (पुण्टि के मामलो पर विचार करने के लिए): 1. उप-महानित्रेशक (कार्यक्रम — फ्रम्स 2. उप-महानित्रेशक (प्रणामन) — महस्य 3. निवेशक भोता प्रतु-राधान एकक — पदस्य दिएपण: पुष्टि से सर्वाधित की कार्यवाहिया, सच तीक सेवा मायोग के प्रतु-मावतार्थ भेजी आवेगी। किन्तु यहि संघ लोक सेवा प्रायोग इनका प्रतुगोवत नहीं करता है तो, विभागीय प्रोक्रित निमित्त की बैठक सम्माले भोजी आवेगी से प्रयोग इनका प्रायोग के प्रदेश निमित्र की बैठक सम्माले भी किता प्रायोग के प्रदेश भी किसी भदस्य की प्रध्यक्षता में से होगी।	रण और इन निषमों

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Dolhi, the 9th September, 1980

G.S.R.1097. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of rectuitment to the post of Senior Cartographer in the Audience Research Unit of All India Radio, New Delhi under the Ministry of Information and Broadcasting namely:

- 1. Short title and commencement .—(i) These rules may be called the All India Radio, New Delhi, (Senior Cartographer) Recruitment Rules, 1980.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification, and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 6—13 of the said Schedule.

- 4. Disqualifications .- No person,
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

प्रार० डी० जोशी, श्रवर सचिव

OR

(b) who, having a spouse living has correred into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories, in accordance with the orders, issued to the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE								
Name of post	No. of posts	Classifi- cation	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of C.C.S. (Pension) Rutes		and other qualifi- uired for direct
1		3	4	5	6	ба		7
Senior Cartographe	r One	General Central Service Group 'B' non-gazetted Ministerial	Rs. 550-25- 750-EB-30- 900	Not applicable.	Not exceeding 30 yrs (Relaxable for Govt. Servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in Andaman & Nicober Islands and Lakshadween).		recognis Institutio (ii) Two ye drawing graphs, Note 1.— O relaxable eretion Public ssion in c otherwise Note 2,—Th tegarding relaxable of the Uni Commission candidates Scheduled duled Trill of selection Service Cor opinion number of these com- ing the red are not like	reial art of a ed University or on, ors experience in maps, charts, illustrations etc. malifications are e at the dissoft the Union Service Commisses of candidates e well qualified, are qualification experience are at the discretion ion Public Service in in the case of belonging to the Castes or Schebes, if at any stage the Union Public mission is of the that sufficient candidates from immunities possessuisite experience by to be available the vacancles
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits apply for promotees	probatio	n, whether or by de for and p	of recruitmenthy direct recruitmenthy direct recruputation/transpercentage of the filled methods	ait premo s - grades the motion	tion/deputation/transfer, from which pro- n/deputation/transfer to	If a Department motion Community what is its to be a second community of the community of t	intee exists	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making re- cruitment
s	9		10		n		12	
Not applicable	2 years	or tra	fer on deputa inster, failing t ect recruitmen	ooth fer it. tral din wit in 700 sin	isfer on deputation/trans- : Officers under the Cen- /State Governments hol- g analogous posts—or h 5 years service in posts the scale of Rs. 425- or equivalent and posses- g two years experience drawing maps, charts,	sidering co. 1. Deputy D. 1. Deputy D. 2. Deputy Di. 1. neral(A)— 3. Dir. (Audi. 3. search Un.	ingirmun irector-Ge- Member ienec Re- it-Member	Consultation with the Cons- mission necessar white making direct result- ment, selecting an officer for apptt, on deput- ation as well as

8 9	9	10	11	12	13
			graphs, illustration etc. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 yrs.)	the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are mapproved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Membe of the Union Public Service Commission, shall be held.	ii- : :

[No. A-12019/1/78-B(A)] R. D. JOSHI, Under Scev.

नई दि ली, 24 भिनम्बर, 1980

सां का वि 1098. — केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषय अधिनियम, 1978 (1978 का 37) भी धारा 25 द्वारा प्रदत्त का किसमें का प्रयीग करते हुए, प्रेस परिषय नियम, 1979 में निम्निलिखित संबोधन करती है, अर्थात:—

- (i) इन नियमों का नाग प्रेम परिषद (संजोधन) नियम,
 1980 है।
 - (ji) ये 1 मार्च, 1979 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
- 2. प्रेस परिखद निधम, 1979 के नियम 8 में. "(भारत)" कोव्यक श्रीर इसका का लीप किया जायथा

व्याक्यात्मक जापन

प्रेस परिवद अधितियम, 1970 के नियम 8 में और वालों के साय-साथ यह व्यवस्था है कि भारतीय प्रेस परिषद के कर्मचारी परिवद में नियुक्ति की तारीख से अंशवायी अविषय निधि (भारत) में अभिवान करने के हकवार होंगे। नरुर्धा, अंशवायी अविषय निधि (भारत) में अभिवान करने के हकवार होंगे। नरुर्धा, अंशवायी अविषय निधि (भारत) में विश्व से लेते हैं। परिवद के कर्मवारी अपना वेतन भारत की संचित निधि से ने लेकर अप्य स्त्रोतों से लेते हैं, यवः ये अंशवायी अविषय निधि (भारत) में अभिवान करने के पाल नहीं हैं। क्योंकि परिवद के अर्थवारियों के लिए परिवद द्वारा स्वयं स्थापित अंशवायी अविषय गिधि में अभिवान करना आवस्थक है, अतः उक्त नियम 8 में ऐसा संशोधन करना आवस्थक हो गया कि वर क्यांश 'अंशवायी अविषय निधि' के बाद कोष्टक तथा कोष्टक में ''(भारत)'' शब्द का लोग किया जाए।

इस बीच, कुछ कमंचारी अंकराजी अविष्य निधि में प्रसिदान करने के लिए पास हो गए और थे परिषद में अपनी नियुक्ति के दिन ने वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। उनके हितों का संरक्षण करने के लिए उक्त नियमों में भूतलकी सारीख से संशोधन करना आवश्यक हो गया ।

3. प्रेस परिषद (संगोधन) नियम, 1980 को मार्च, 1979 के पहले दिन से भूतक्ति प्रभाव देने के निर्णय मे जिसी के भी हितीं पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

> [फाइल संख्या ः/25/79-प्रेस] सुरेश भाष्ट्र, जंयुक्त सविव

New Delhi, the 24th September, 1980

G.S.R.1098.—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Press Council Act, 1978 (37of 1978) the Central Government hereby makes the following amendment to the Press Council Roles, 1979, namely :—

- 1. (i) These rules may be called the Press Council (Amendment) Rules, 1980.
- (ii) They shall be deemed to have come into force on the 1st March, 1979.
- 2. In the Press Council Rules, 1979, in tule 8, the word and bracket "India" shall be omitted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Rule 8 of the Press Council Rules, 1979, inter-alia, provided that the employees of the Press Council of India shall be entitled to subscribe to the Contributory Provident Fund (India) with effect from the date of appointment in the Council. However, the Contributory Provident Fund (India) is meant only for those subscribers who draw their salaries from the Consolidated Fund of India. The employees of the Council draw their salaries from sources other than the Consolidated Fund of India and, therefore, they are not eligible to contribute to the Contributory Provident Fund (India). Since the employees of the Council have necessarily to subscribe to the Contributory Provident Fund constituted by the Council itself it became necessary to amend the said rule 8 so as to omit the bracket as well as the word "(India)" in the bracket appearing after the phrase 'Contributory Provident Fund'.

- 2. In the meantime, some employees became eligible to subscribe to the Contributory Provident Fund and have in fact been doing so since the day of their appointment in the Council. With a view to safeguarding their interests it became necessary to make the said amendment in the said rules from a retrospective date.
- 3. The interests of no one would be prejudicially affected by reason of the decision to give retrospective effect from the 1st day of March, 1979 to the Press Council (Amendment) Rules, 1930.

[F. N. 4/25/79-Press]

SURESH MATHUR, Jt. Secy.